TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3 SUBSECTION (II) OF THE GAZETTE OF INDIA EXTRA ORDINARY DATED THE 14th DECEMBER, 2015

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF
CENTRAL EXCISE, CUSTOMS AND SERVICE TAX
COCHIN COMMISSIONERATE
CENTRAL REVENUE BUILDING: I.S PRESS ROAD, COCHIN-18

NOTIFICATION NO. 03/2015 - CUSTOMS (NT), COCHIN DATED 14. 12. 2015

In exercise of the powers conferred by Notification No. 33/94 Cus (NT) dated 1st July 1994, by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi under clause (a), Section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), Arackappady Village of Kunnathunadu Taluk of Ernakulam District in Kerala State is hereby declared to be warehousing station under section 9 of the Customs Act 1962 for the limited purpose of setting up a 100% Export Oriented Undertaking as approved by the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

Reshma Lakhani

(RESHMA LAKHANI)
COMMISSIONER

(Issued from file C.No.VIII/48/44/2015 Cus Tech)

Copy forwarded for information to,

1. All Chief Commissioners of Customs and Central Excise
2. All Commissioners of Customs,
3. All Commissioners of Central Excise & Customs
4. Directorate of Publications, Customs and Central Excise, New Delhi
5. Manager, Govt. of India Press, Mayapuri, Ring Road, New Delhi for publishing in Gazette of India;
6. The Under Secretary C.B.E.C, New Delhi(LC Sec./Cus VII)
7. Directorate of Revenue Intelligence, I.P Bhavan, 7th floor, I.P Estate, New Delhi;
8. Directorate General of Anti Evasion, R. K. Puram, New Delhi
9. The Commissioner TRU, CBEX, New Delhi;
10. Director General of Inspection & Audit, New Delhi
11. Comptroller and Auditor General of India, New Delhi
12. The Secretary, Govt. Of India, Deptt of Electronics, Industry Promotion Division, New Delhi;
13. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Industries, Deptt of Industrial Development Secretariat for Industrial Approvals, EOU Section, New Delhi
14. All Deputy Commissioner/Asstt. Commissioners of Cochin Commissionerate.
15. The Superintendent(Systems) for necessary updation in the official website.

दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 को भारत के राजपत्र,असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (II) में प्रकाशित किए जाने के लिए

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त का कार्यालय
कोचिन आयुक्तालय
केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, कोचिन -682018

अधिसूचना सं.03/2015 सीमा शुल्क (एन.टी.), कोचिन तारीख 14.12.2015

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के खंड (क) के अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं.33/1994 - कस (एन.टी), दिनांक 1 जुलाई, 1994 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एततद्वारा केरल राज्य में एर्णाकुलम जिला के कुन्नत्तुनाडु तालूक के अरक्कप्पडी गाँव को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 9 के अंतर्गत विकास आयुक्त, कोचिन विशेष आर्थिक क्षेत्र, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 100% निर्यात आधारित एककों के गठन के सीमित प्रयोजन के लिए भांडागारण स्टेशन घोषित किया जाता है ।

रेश्मा लखानी
(रेश्मा लखानी)
आयुक्त

(फा.सी.सं.VIII/48/44/2015-कस टेक से जारी)

प्रतिलिपि सूचना हेतु प्रेषित,

1. सभी मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
2. सभी आयुक्त सीमा शुल्क
3. सभी आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क
4. प्रकाशन निदेशालय, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली
5. प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली (भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु)
6. अवर सचिव, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली(एल.सी.अनुभाग/कस्टम्स -VII)
7. राजस्व आसूचना महा निदेशालय, इन्द्र प्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली
8. अपवंचनरोधी महानिदेशालय, आर के पुरम, नई दिल्ली
9. आयुक्त, कर वसूली एकक, सी बी ई एक्स, नई दिल्ली
10. निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा महानिदेशालय, नई दिल्ली
11. भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक,नई दिल्ली
12. सचिव, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उद्योग संवर्धन डिविजन, नई दिल्ली
13. सचिव, भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक मंजूरी हेतु उद्योग विकास सचिवालय विभाग, ई ओ यू अनुभाग, नई दिल्ली
14. कोचिन आयुक्तालय के सभी उप /सहायक आयुक्त
15. अधीक्षक (सिस्टम्स) सरकारी वैबसाइट में आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु